

राज्य सभा ने पारति कथि एडमरिलिटी वधियक

समाचारों में क्यों ?

- वदिति हो क राज्ज सभा द्वारा एडमरिलिटी (न्याय क्षेत्र एवं सामुद्रकि दावों के नपिटान) वधियक, 2016 पारति कर दथि गया है। इस वधियक का उद्देश्य अदालतों के एडमरिलिटी न्याय क्षेत्र, सामुद्रकि दावों की एडमरिलिटी प्रक्रियाओं, पोतों की गरिफ्तारी एवं संबंधति मुद्दों से जुड़े वर्तमान कानूनों को मज़बूत बनाने के लथि एक कानूनी संरचना की स्थापना करना है।
- अब कानून की शकल लेते ही यह वधियक ऐसे पुराने कानूनों को वसिथापति कर देगा, जो कारगर प्रशासन की राह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
- यह वधियक भारत के तटीय राज्यों में स्थति उच्च न्यायालयों को एडमरिलिटी न्याय क्षेत्र प्रदान करता है और यह क्षेत्राधिकार प्रादेशकि जल क्षेत्रों तक फैला है।

क्या परिवर्तन लाणा एडमरिलिटी वधियक 2016 ?

- एडमरिलिटी वधियक अदालतों के एडमरिलिटी क्षेत्राधिकारों, समुद्रतटीय दावों पर अदालती कार्यवाही, जहाज़ों की ज़बती और अन्य संबंधति मुद्दों से जुड़े मौजूदा कानूनों को मज़बूती प्रदान करेगा।
- इस वधियक के माध्यम से नागरकि मामलों में नौवहन वधिाग के क्षेत्राधिकार के पाँच पुराने कानून भी नरिस्त कथि जाएंगे। गौरतलब है कथिह कानून बरटिशि काल से लागू हैं। नरिस्त कथि जाने वाले कानून हैं:

1. एडमरिलिटी कोर्ट अधनियम, 1840
2. एडमरिलिटी कोर्ट अधनियम, 1861
3. कॉलोनयिल कोर्ट्स ऑफ एडमरिलिटी अधनियम, 1890
4. कॉलोनयिल कोर्ट्स ऑफ एडमरिलिटी (इंडिया) अधनियम, 1891
5. बंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों के एडमरिलिटी क्षेत्राधिकारों पर लागू लेटर्स पेटेंट प्रावधान, 1865

एडमरिलिटी वधियक, 2016 की मुख्य वशिषताएँ

- एडमरिलिटी वधियक 2016 भारत के तटवर्ती राज्यों के उच्च न्यायालयों को एडमरिलिटी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है और इस क्षेत्राधिकार का वसितार संबंधति राज्ज की समुद्री सीमा तक है। केंद्र सरकार अधसिचना के माध्यम से इस क्षेत्राधिकार में वसितार कर सकती है।
- वदिति हो क एडमरिलिटी क्षेत्राधिकार अब तक बामबे, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों तक ही सीमति था लेकिन इस वधियक के कानून बनते ही कसिी राज्ज के एडमरिलिटी से संबंधति सभिी मामलों की सुनवाई उसी राज्ज का उच्च न्यायालय करेगा।
- एडमरिलिटी वधियक सभिी समुद्री जहाज़ों पर लागू होगा चाहे जहाज़ के मालकि का आवास/ नवासिा चाहे कहीं भी हो। अंतरदेशीय नरिमाणाधीन जहाज़ इसके दायरे में नहीं लथि गए हैं, लेकिन आवश्यकता महसूस होते ही केंद्र सरकार अधसिचना जारी करके इनको भी इस दायरे में ला सकती है।
- यह वधियक युद्धपोत एवं नौसेना बेड़े के सहायक जहाज़ और गैर-वाणजियकि उद्देश्यों के लथि प्रयोग कथि जाने वाले जहाज़ों पर लागू नहीं है। समुद्री दावों के मामलों में सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र नशिचति परस्थितियों में जहाज़ को ज़बत भी कथि जा सकता है।
- कसिी जहाज़ पर चुनदिा समुद्री दावों के संबंध में दायतिय का हस्तांतरण उसके नए मालकि को नरिधारति समय सीमा के भीतर समुद्री नथिमों के तहत कथि जाएगा। साथ ही जनि पहलुओं को इस वधियक में शामिल नहीं कथिा गया है, उन पर सविलि प्रक्रिया संहतिा, 1908 ही लागू रहेगी।

नशिर्कष

भारत, समुद्री व्यापार की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्र है और भारत का 90 प्रतिशत से अधिक व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। हालाँकि, वर्तमान सांविधिक रूपरेखा के तहत, भारतीय अदालतों की एडमरिलिटी अधिकार क्षेत्र का नरिधारण बरटिशि युग में लागू कानूनों के माध्यम से हो रहा है। पाँच एडमरिलिटी वधियों को नरिस्त करना और अपरचलति हो चुके कानूनों में परिवर्तन लाकर उन्हें व्यवहारपरक बनाया जाना, कुशल प्रशासन की दशिा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।

